संख्या 1/14013/03/2010-रा०भा० (नीति-1)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

***

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक: 01-07-2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय - हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने वाले फार्मों आदि तथा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग।

राजभाषा विभाग द्वारा उपरोक्त विषय के संबंध में जारी किये गये निम्न कार्यालय ज्ञापनों की प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है :

i. स्थानीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय जनता की सुविधा के लिए उनके इस्तेमाल में आने वाले मनीआर्डर फार्म तथा इसी प्रकार के अन्य फार्म हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा (यदि वह हिंदी के अलावा हो), में छापे जाने के संबंध में जारी किये गये दिनांक 25.3.1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/9/65-रा.भा.
ii. हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों और कार्यालयों के नामों के बोर्ड तथा उनके द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले नोटिस बोर्ड, नामपट्ट आदि में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग करने संबंधी जारी किये गये दिनांक 18.6.1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/05/76-रा.भा.(क-1)
iii. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के नामपट्टों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करने के संबंध में जारी किये गये दिनांक 26.2.1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/2/86-रा.भा.(क-1)

2. महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजभाषा विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि महाराष्ट्र स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालय इन अनुदेशों का पूरा पालन नहीं कर रहे

है । अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन निदेशों का अनुपालन महाराष्ट्र राज्य स्थित अपने सभी कार्यालयों (सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, नियंत्रणाधीन/स्वामित्व वाली कंपनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित) से कराना सुनिश्चित कराएं ।

(डी0के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी

<u>प्रतिः</u>

अर्धशासकीय पत्र सं.Mabhava-1010/ICR-48/20-B दिनांक 19.3.2010 के संदर्भ में मुख्य सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई-400032, महाराष्ट्र

(डी0के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

No.I/14013/03/2010-O.L.(Policy-1)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language
***

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated: 01 July, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Printing in regional languages of the forms meant for use of public and use of languages on notice boards/name plates etc. to be displayed for the information of the public by Central Government offices located in non Hindi speaking regions.**

The copies of the following Office Memorandums issued by Department of Official Language on the subject noted above are enclosed for ready reference:-

(i) O.M. No. 7/9/65-O.L dated 25/3/1968 regarding printing in Hindi, English & regional language (if it is different from Hindi) of money order and other similar forms, meant for use by local public, by local offices.

(ii) O.M.No. I/14013/05/76-O.L.(A.1) dated 18.6.77 regarding use of regional language, Hindi and English on notice boards/name plates etc. to be displayed for the information of the public by Central Government Offices located in non-Hindi speaking regions.

(iii) O.M.No. I/14013/2/86-O.L. (A.1) dated 26.2.86 regarding use of Regional language, Hindi & English on notice boards/name plates etc to be displayed for the information of the public by Central Government offices located in non-Hindi speaking regions.

2. It has been borught to notice of the Department of Official Language by the State Government of Maharashtra that the offices of the Central Government situated in Maharashtra are not following these instructions in letter & spirit. Therefore, all Ministries/Departments are requested to ensure compliance of these instructions by all their offices (including

attached/subordinate offices, companies owned or controlled by them, nationalized banks, public sector undertaking etc.) situated in the state of Maharashtra.

(D.K. Pandey)
Joint Secretary to the Government of India

To

Joint Secretaries or higher level officers of all Ministries/Departments supervising the work relating to the implemention of Official Language.

Copy to:-

Principal Secretary (Information Technology), General Administration Department, Room No. 514 (Annex), Mantralaya, Mumbai-400 032 with reference to his D.O. letter NO. Mabhava-101011CR-48/20-B, dated 19.3.2010.

(D.K. Pandey)
Joint Secretary to the Government of India